पत्रांक–भवन / बजट–43–योजना (भवन)–04 / 2017–18..... 10232 (भ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 30/10/26

विषय– भवन निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** कुल **₹ 4,01,33,088/– (चार करोड़ एक लाख तैंतीस हजार अठासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माण विभाग की निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल **₹ 4,01,33,088/– (चार करोड़ एक लाख तैंतीस हजार अठासी रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है :–

क्र0	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी० संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	संरचना प्रमंडल स0-03, पटना	34832	विकास भवन, पटना, परिसर में अग्रिशमन अधिष्ठापन कार्य हेतु	106(भ) / 04.07.23	₹3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख रूपये)
2.	संरचना प्रमंडल स0-02, पटना	34689	Water proofing for the Newly Constructed Bihar Vidhan Mandal Basement (North, South & Central) at Patna with 5 Year Warranty and maintainance	59(भ) / 25.09.19	₹36,39,301/- (छत्तीस लाख उनचालीस हजार तीन सौ एक रूपये)
3.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल संख्या-01, पटना	34911	Supplying, fitting & fixing of Compactor/Optimizer storage system at 7th floor (East Side) at Vishweshwaraiya Bhawan, Patna for the Year 2026-27	133(भ) / 18.09.26	14,93,787/- (चौदह लाख तिरानवे हजार सात सौ सतासी रूपये)
			कुल योगः–		4,01,33,088/–
			(चार करोड़ एक लाख तैंतीस हजार अठासी रूपये) मात्र।		

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–01–कार्यालय भवन–लघु शीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0101–भवन **विपत्र कोड–03–4059010510101** के विषयशीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2026–27** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

30/10/26
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।